

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/ दिनांक 27 जुलाई/2016

आदेश

तात्कालिक प्रभाव से शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत महानिदेशालय के आदेश संख्या-10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/ टी0सी0/2016-17/2304-10 दिनांक 29.07.2016 के क्रम संख्या-3 पर अकित श्री छटदू लाल निगम, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली किया गया स्थानान्तरण संशोधित करते हुये श्री निगम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ के अधीन तैनात किया जाता है।

शेष शर्तें/प्रतिबन्ध/निर्देश यथावत रहेंगे।

(जी0के0कुरील)  
निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांक:: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2625-30 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर / बरेली / प्रतापगढ।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर / बरेली / प्रतापगढ।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

40/27.7.16  
(उमेश सिंह यादव)  
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

# कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

## आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से श्री संत कुमार, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)  
निदेशक स्वास्थ्य  
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2812-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ / बस्ती।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ / बस्ती।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।

Ud  
29.7.16  
(उमेश सिंह यादव)  
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

# कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

## आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय शंकर तिवारी, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।


1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

(जी0के0कुरील)  
निदेशक स्वास्थ्य  
तद्दिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2590-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर / इलाहाबाद।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मिर्जापुर / इलाहाबाद।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

  
(उमेश सिंह यादव)  
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

# कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

## आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमेठी के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्हीं भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)

निदेशक स्वास्थ्य

तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2597-2602

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, अमेठी / आजमगढ़।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी / आजमगढ़।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।

UdD  
29.7.16

(उमेश सिंह यादव)

संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

